भाग ४ (क) राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम। विधि (विधायी प्रारुपण) विभाग (ग्रुप-2) अधिसूचना जयपुर, मई 22, 2012

संख्या प. 2 (32) विधि/2/2012.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमित दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 22) (राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई)

जनता को नियत समय-सीमाओं के भीतर सुनवाई का अधिकार प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थातु:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः-

- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 है।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''परिवाद'' से, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलंब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से , या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि , नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से, उदभूत किसी मामले के संबंध में , किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक , चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त , के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित , जिसमें किसी न्यायलाय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं .22) के अधीन किसी मामले या राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं .23) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं है;

- (ख) ''सुनवाई का अधिकार '' से नियत समय सीमा के भीतर किसी परिवाद पर-नागरिकों को प्रदत्त सुनवाई का कोई अवसर और परिवाद परसुनवाई में किये गये विनिश्चय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;
- (ग) ''लोक सुनवाई अधिकारी'' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई लोक सुनवाई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) ''सूचना और सुगम केन्द्र'' से ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्र को सम्मिलित करते हुए, धारा 5 के अधीन स्थापित कोई सूचना और सुगम केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ङ) "लोक प्राधिकारी" से राज्य सरकार और इसके विभाग अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन , नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से सारतः वित्त पोषित, कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित है;
- (च) ''प्रथम अपील प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;
- (छ) ''द्वितीय अपील प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;
- (ज) "नियम समय-सीमा" से किसी परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को , या किसी अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपील प्राधिकारी या द्वितीय अपील प्राधिकारी को , या परिवादी या , यथास्थिति, अपीलार्थी को ऐसे परिवाद या , यथास्थिति, अपील के विनिश्चय के बारे में सूचित करने के लिए पूर्वोक्त प्राधिकारियों को , अनुज्ञात अधिकतम समय-सीमा अभिप्रेत है;
- (झ) "दिवस" से समय-सीमा के रूप में निर्दिष्ट कार्य दिवस अभिप्रेत है;
- (ञ) ''विनिश्चय'' से अधिनियम के अधीन अधिसूचित लोक सुनवाई अधिकारी या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी परिवाद या अपील या पुनरीक्षण पर किया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है और इसमें परिवादी या यथास्थिति, अपीलार्थी को भेजी गई सूचना सम्मिलित है;
- (ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और
- (ठ) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।
- 3. लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और प्राधिकारी पुनरीक्षण तथा नियत समय-सीमा की अधिसूचना राज्य सरकार समय-समय पर, लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा नियत समय-सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।

4. नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार: -

- (क) लोक सुनवाई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन फाइल किये गये किसी परिवाद पर नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
- (ख) लोक सुनवाई अधिकारी , ऐसे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता मांग सकेगा, जिसे वह उप-धारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।
- (ग) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी , जिसकी सहायता की मांग उप-धारा (2) के अधीन की गयी है , उसकी सहायता मांगने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को समस्त सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसा अन्य अधिकारी या , यथास्थिति, कर्मचारी लोक सुनवाई अधिकारी माना जायेगा।
- (घ) नियत समय-सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसको कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को या परिवाद प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को फाइल किया जाता है। परिवाद की प्राप्ति की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।
- (ङ) लोक सुनवाई अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और परिवादी को सुनने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार करते हुए या मांगा गया फायदा या अनुतोष मंजूर करने के लिए उसे किसी सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करते हुए या किसी अन्य विधि , नीति, ओदश, कार्यक्रम या स्कीम के अधीन उपलब्ध कोई वैकल्पिक फायदा या अनुतोष सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए , जिसके कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा , परिवाद को विनिश्चित करेगा और नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।

5. सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना:-

- (क) जनता की शिकायत का दक्षता और प्रभावी तरीके से निराकरण करने के प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम के अधीन परिवादों को प्राप्त करने के लिए , राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्रों की स्थापना करेगी जिनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित हो सकेगी।
- (ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूचना और सुगम केन्द्रों के संबंध में नियम बना सकेगी।
- (ग) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिकायत के निराकरण को सम्मिलित करते हुए , शिकायत निराकरण की पद्धति में विकास , प्रोन्नति, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए उत्तरदायी होगा।

6. अपीलः-

- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत सीमा-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है या जो लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है नियत समय तारीख की समाप्ति से या लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगाः
 - परन्तु प्रथम अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालाविध की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
- (2) यदि लोक सुनवाई अधिकारी , धारा 4 के उपबंधों का पालन नहीं करे तो ऐसे अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे ही प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा जिसे प्रथम अपील की रीति से निपटाया जायेगा।
- (3) प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयाविध के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।
- (4) प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील , प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को होगी: परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालाविध की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
- (5) कोई व्यथित व्यक्ति सीधे ही द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा, यदि लोक सुनवाई अधिकारी उप-धारा (3) के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना नहीं करता है या प्रथम अपील प्राधिकारी नियत समय-सीमाओं के भीतर अपील का निपटारा नहीं करता है, उसे द्वितीय अपील की रीति से निपटाया जायेगा।
- (6) द्वितीय अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने या , यथास्थिति उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर अपील का निपटारा करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।
- (7) द्वितीय अपील प्राधिकारी, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ, लोक सुनवाई अधिकारी पर धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- (8) प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं .5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली तात्विक सामग्री को प्रकट करना और प्रस्तुत करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना-;
- (घ) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना:
- (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना; औरया/
- (छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

7. शास्तिः-

- (1) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहा है वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर संकेगा और पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:
 - परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है , सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा
- (2) उप-धारा (1) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक सुनवाई अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी।
- (3) द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी, पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है तो उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।
- 8. पुनरीक्षण:- इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख के साठ दिवस की कालाविध के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निपटारा करेगाः
 - परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालाविध की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।
- 9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण:- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाहियां नहीं होंगी।

- 10. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जनः किसी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई विनिश्चय या कार्रवाई करने या किसी भी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लोक सुनवाई अधिकारी , प्रथम अपील प्राधिकारी , द्वितीय अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सुने जाने , विनिश्चित किये जाने या कार्रवाई किये जाने या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित है।
- **11. विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंध**ः- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

12. नियम बनाने की शक्ति:-

- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) इस धारा के अधीन बनाये गए समस्त नियम , इनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र , राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष , जब वह सत्र में हो , चौदह दिन से अन्यून की कालाविध के लिए , जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यिद, उस सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपातंरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतिरत रूप में प्रभावी होंगे या , यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा , तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. कठिनाइयों का निराकरणः-

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोड़ू भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:
 - परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION **Jaipur, May 22, 2012**

No. F. 2 (32) Vidhi/2/2012.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sunwai ka Adhikar Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 22):-

(Authorized English Translation) THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012 (Act No. 22 of 2012)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of May, 2012]

An

Act

to provide the right of hearing to the people within stipulated time limits and to provide for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement. –

- (1) This Act may be called the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in Official Gazette, appoint.

2. Definition. – In this Act, unless the context otherwise requires –

(a) "complaint" means any application made by a citizen or a group of citizens to a Public Hearing Officer for seeking any benefit or relief relating to any policy, programme or scheme run in the State by the State Government or the Central Government, or in respect of failure or delay in providing such benefit or relief, or regarding any matter arising out of failure in the functioning of, or violation of any law, policy, order, programme or scheme in force in the State by, a public authority but does not include grievance relating to the service matters of a public servant, whether serving or

- retired, or relating to any matter in which any Court or Tribunal has jurisdiction or relating to any matter under Right to Information Act, 2005(Central Act No. 22 of 2005) or services notified under the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011(Act No. 23 of 2011);
- (b) "right to hearing" means an opportunity of hearing provided to the citizens on a complaint within the stipulated time limit and right to get information about the decision made in the hearing on the complaint;
- (c) "Public Hearing Officer" means a Public Hearing Officer notified under section 3;
- (d) "Information and Facilitation Centre" means an Information and Facilitation Centre, including customer care centre, call centre, help desk and people's support centre established under section 5;
- (e) "public authority" means the State Government and its departments and includes any authority or body or institution established or constituted by or under any law made by the State Legislature and owned, controlled or substantially financed, directly or indirectly, by the funds provided by the State Government;
- (f) "first appellate authority" means an officer or authority notified as such under section 3;
- (g) "second appellate authority" means an officer or authority notified as such under section 3;
- (h) "stipulated time limit" means the maximum time allowed to Public Hearing Officer for providing an opportunity of hearing on a complaint, or to the first appellate authority or the second appellate authority for deciding an appeal, or to the aforesaid authorities for informing the complainant or appellant, as the case may be, of the decision on such complaint or appeal, as the case may be;
- (i) "days" means the working days, referred to as time limit;
- (j) "decision" means a decision taken on a complaint or appeal or revision by the Public Hearing Officer or appellate authority or revision authority notified under this Act and includes the information sent to the complainant or the appellant, as the case may be;
- (k) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act; and
- (1) "State Government" means the Government of Rajasthan.

3. Notification of Public Hearing Officers, first appellate authority, second appellate authority and revision authority and stipulated time limit – The State Government may notify from time to time, the Public Hearing Officer, first appellate authority, second appellate authority and revision authority and stipulated time limits.

4. Right to get opportunity of hearing on complaint within the stipulated time limit.

- (1) The Public Hearing Officer shall provide an opportunity of hearing on a complaint filed under this Act within the stipulated time limit.
- (2) The Public Hearing Officer may seek the assistance of any other officer or employee as he considers it necessary for the proper discharge of his duties under sub-section (1).
- (3) Any officer or employee, whose assistance has been sought under sub-section (2), shall render all assistance to the Public Hearing Officer seeking his assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer or employee, as the case may be, shall be treated a Public Hearing Officer.
- (4) The stipulated time limit shall start from the date when a complaint is filed to the Public Hearing Officer or to a person authorized by him to receive the complaints. Receipt of a complaint shall be duly acknowledged.
- (5) The Public Hearing Officer on receipt of a complaint under subsection (1) shall, within the stipulated time limit, provide an opportunity of hearing to the complainant and after hearing the complainant, decide the complaint either by accepting it or by referring it to an authority competent to grant the benefit or relief sought for or by suggesting an alternative benefit or relief available under any other law, policy, order, programme or scheme or by rejecting it for the reasons to be recorded in writing and shall communicate his decision on the complaint to the complainant within the stipulated time limit.

5. Establishment of Information and Facilitation Centre –

(1) For the purposes of the efficient and effective redressal of grievance of the people and to receive complaints under this Act, the State Government shall establish Information and Facilitation Centers which may include establishment of customer care centers, call centers, help desks and people's support centers.

- (2) The State Government may, by notification, make rules in relation to Information and Facilitation Center.
- (3) Every public authority shall be responsible for the development, improvement, modernization and reform in redressal of grievance system including redressal of grievance through information technology.

6. Appeal –

- (1) Any person who is not provided an opportunity of hearing within the stipulated time limit or who is aggrieved by the decision of the Public Hearing Officer, may file an appeal to the first appellate authority within thirty days from the expiry of the stipulated time limit or from the date of the decision of the Public Hearing Officer:
 - Provided that the first appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
- (2) If the Public Hearing Officer does not comply with the provision of section 4, any person aggrieved by such non-compliance may submit complaint directly to the first appellate authority which shall be disposed of in the manner of a first appeal.
- (3) The first appellate authority may order the Public Hearing Officer to provide the opportunity of hearing to the complainant within the period specified by it or may reject the appeal.
- (4) A second appeal against the decision of the first appellate authority shall lie to the second appellate authority within thirty days from the date of the decision of the first appellate authority:
 - Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
- (5) An aggrieved person may file an appeal directly to the second appellate authority, if the Public Hearing Officer does not comply with the order of first appellate authority under sub-section (3) or the first appellate authority does not dispose of the appeal within the stipulated time limits which shall be disposed of in the manner of a second appeal.
- (6) The second appellate authority may order the Public Hearing Officer or the first appellate authority or provide an opportunity of

- hearing to the complainant or dispose of the appeal, as the case may be, within the period specified by it or may reject the appeal.
- (7) Along with the order to provide an opportunity of hearing to the complainant, the second appellate authority may impose a penalty on Public Hearing Officer in accordance with the provisions of section 7.
- (8) The first appellate authority and second appellate authority shall, while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-
- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning of any public record;
- (e) issuing commission for the examination of witnesses;
- (f) reviewing its decisions, directions and orders; and/or
- (g) any other matter which may be prescribed.

7. Penalty.-

(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the Public Hearing Officer has failed to provide an opportunity of hearing within the stipulated time limit without sufficient and reasonable cause, it may impose on him a penalty which shall not be less than five hundred rupees but which shall not exceed five thousand rupees:

Provided that before imposing any penalty under this sub-section, the person on whom penalty is proposed to be imposed shall be given a reasonable opportunity of being heard.

- (2) The penalty imposed by the second appellate authority under subsection (1) shall be recoverable from the salary of the Public Hearing Officers.
- (3) The second appellate authority, if it is satisfied that the Public Hearing Officer or the first appellate authority has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without assigning sufficient and reasonable cause, may recommend action against him under the service rules applicable to him.

8. Revision – The Public Hearing Officer or first appellate authority aggrieved by an order of the second appellate authority in respect of imposing of penalty under this Act may make an application for revision to the officer or authority nominated by the State Government within a period of sixty days from the date of that order. The nominated officer or authority shall dispose of the application in accordance with the prescribed procedure:

Provided that the officer or authority nominated by the State Government may entertain an application after the expiry of the said period of sixty days, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

- **9. Protection of action taken in good faith.**No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made thereunder.
- **10. Bar of jurisdiction of courts.** No civil court shall have jurisdiction to hear, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act required to be heard, decided or dealt with or to be determined by the Public Hearing Officer, first appellate authority, second appellate authority or the officer nominated by the State Government.
- **11. Provisions to be in addition to existing laws.** The provisions of this Act shall in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

12. Power to make rules.-

- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment

shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under.

13. Removal of difficulties.—

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything, not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

Prakash Gupta

Principal Secretary to the Government. 19, Government Central Press, Jaipur.

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रुप-1)

अधिसूचना

जयपुर, जून ७, २०१२

जी.एस.आर.16: -राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम , 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-
 - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम, 2012 है।
 - *(2) ये 11 जून, 2012 से ही प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "**अधिनियम**" से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) अभिप्रेत है;
 - (ख) "**केन्द्र**" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित सूचना और सुगम केन्द्र अभिप्रेत है:
 - (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और
 - (घ) '**'धारा'**' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. परिवाद.-

- (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सुनवाई चाहता है, प्ररूप 1 में या सादे कागज पर परिवादी का नाम और पता और परिवाद की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए , लोक सुनवाई अधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेगा।
- (2) परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या केन्द्र के प्रभारी के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
 - * 1 अगस्त, 2012 संशोधन अधिसूचना दिनांक 20.07.2012 के अनुसार प्रवृत्त
- (3) लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केन्द्र उस व्यक्ति को, जो परिवाद फाइल करना चाहता है, प्ररूप 1 उपलब्ध करायेगा और प्ररूप 1 को भरने में या, यथास्थिति, सादा कागज पर परिवाद करने में उसकी सहायता करेगा।
- (4) परिवाद की प्राप्ति पर प्रत्येक परिवाद पर, लोक सुनवाई अधिकारी या उस व्यक्ति द्वारा, जो परिवाद प्राप्त करता है , एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिया जायेगा और ऐसा

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक सभी स्तरों पर अर्थात् परिवाद की सुनवाई , प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण में प्रयुक्त किया जायेगा।

- **4. अभिस्वीकृति.**-परिवाद की प्राप्ति पर लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केन्द्र, प्ररूप 2 में परिवादी को परिवाद की अभिस्वीकृति देगा।
- 5. परिवाद का अन्तरण-.जहां कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को किया जाता है और उसका यह विचार है कि परिवाद की विषयवस्तु दूसरे लोग सुनवाई अधिकारी के कृत्यों से संसक्त है या दूसरे लोग सुनवाई अधिकारी की अधिकारिता में आती हैं तो वह परिवाद को ऐसे दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी को अन्तरित कर देगा और परिवादी को ऐसे अन्तरण के बारे में सात दिन के भीतर सूचित करेगा।
 - **6. सुनवाई के दिवस.** प्रत्येक लोक सुनवाई अधिकारी अधिनियम के अधीन प्राप्त परिवादों की सुनवाई के लिए सप्ताह में कम से कम दो दिवस नियत करेगा और उसे उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्ररूप 4 में अधिसूचित किया जाएगा।
 - 7. परिवादों की सुनवाई.- लोक सुनवाई अधिकारी परिवाद की प्राप्ति पर , नियत समय सीमा के भीतर , परिवादी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराएगा और उसे विनिश्चित करेगा। लोक सुनवाई अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर प्ररूप 4 में अपने विनिश्चिय से परिवादी को संसूचित करेगा।
 - 8. सूचना पट्ट पर सूचना का प्रदर्शन.- लोक सुनवाई अधिकारी अधिनियम के अधीन सुनवाई से सम्बन्धित समस्त सुसंगत सूचना प्रारूप 4 में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। सूचना पट्ट लोक सुनवाई अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।
 - **9. नियत समय सीमा की संगणना.-** इन नियमों के अधीन नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाशों की गणना नहीं की जायेगी।
 - 10. सुनवाई उपलब्ध कराने में प्रत्याख्यान या विलम्ब.- लोक सुनवाई अधिकारी, नियत समय सीमा के भीतर, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और यदि सुनवाई के अवसर का प्रत्याख्यान किया जाता है या उसमें विलम्ब किया जाता और नियम समय सीमा के भीतर विनिश्चय से संसूचित नहीं किया जाता है तो लोक सुनवाई और अधिकारी परिवादी को निम्नलिखित से संसूचित करेगा:-
- (i) ऐसे प्रत्याख्यान का विलम्ब के कारण,
- (ii) वह कालाविध, जिसके भीतर ऐसे प्रत्याख्यान या विलम्ब के विरुद्ध अपील की जा सकेगी ; और
- (iii) सुसंगत अपील प्राधिकारी के बारे में जानकारी।
 - **11. फीस.-** परिवाद, प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी।
 - **12. प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन की अन्तर्वस्तु.** प्रथम अपील या द्वितीय अपील के प्रत्येक ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन में निम्नलिखित जानकारी विनिर्दिष्ट होगी:-
 - (i) अपीलार्थी या यथास्थिति, पुनरीक्षण के आवेदक का नाम और पता;

- (ii) लोक सुनवाई अधिकारी, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट अधिकारी के रूप में माने गये अधिकारी या कर्मचारी , प्रथम अपील प्राधिकारी या , यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी , जिसके आदेश के विरुद्ध या जिसने विलम्ब किया या प्रत्याख्यान किया , अपील या पुनरीक्षण किया गया, का नाम और पता;
- (iii) उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया गया, की विशिष्टियां;
- (iv)यदि अपील परिवाद की अभिस्वीकृति के इंकार के विरुद्ध है तो परिवाद की तारीख और उस लोक सुनवाई अधिकारी का नाम और पता जिसे परिवाद प्रस्तुत किया गया था;
- (v) अपील या पुनरीक्षण के आधार;
- (vi) चाहा गया अनुतोष; और
- (vii) कोई अन्य सुसंगत जानकारी जो अपील या पुनरीक्षण के निपटारे के लिये आवश्यक हो।
- **13. प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज -.** अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे , अर्थात:-
 - (i) उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया गया है , की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रति;
 - (ii) अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां; और
 - (iii) अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।
- **14. प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण को विनिश्चित करने की प्रक्रिया.-** प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण को विनिश्चित करते समय,-
 - (i) सुसंगत दस्तावेजों, लोक दस्तावेजों या उनकी प्रतियों का परीक्षण किया जायेगा;
 - (ii) समुचित जांच , यदि अपेक्षित हो , के लिये कोई अधिकारी प्राधिकृत किया जा सकेगा; और
 - (iii) लोक सुनवाई अधिकारी या , यथास्थिति, प्रथम अपील प्राधिकारी को पुनरीक्षण में सुना जा सकेगा।
- **15.सुनवाई की सूचना की तामील.** प्रथम अपील, द्वितीय अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण की सुनवाई की सूचना निम्नलिखित में से किसी भी रीति में तामील की जायेगी, अर्थात:-
 - (i) पक्षकार या स्वयं व्यक्ति द्वारा;
 - (ii) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से;
 - (iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा; या
 - (iv) सम्बन्धित विभाग के माध्यम से।

16. स्वीय उपसंजाति-.

- (1) अपीलार्थी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई की तारीख से, ऐसी तारीख के कम से कम सात पूर्ण दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा।
- (2) अपीलार्थी या, यथास्थिति पुनरीक्षण का आवेदक अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई के समय व्यक्तिशः उपस्थित हो सकेगा या सुनवाई में उपस्थित नहीं होने का विकल्प दे सकेगा।
- (3) यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण अपीलार्थी या पुनरीक्षण का आवेदक सुनवाई में उपस्थित होने से निवारित किया गया है तो अंतिम विनिश्चिय लेने से पूर्व, अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी या पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा या कोई अन्य समुचित कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।
- (4) यदि कोई पक्षकार सुनवाई की नियत तारीख की सूचना की सम्यक् तामील के पश्चात् भी अनुपस्थित रहता है तो अपील या , यथास्थिति, पुनरीक्षण आवेदन उसकी अनुपस्थिति में निटाया जायेगा।

17. अपील या पुनरीक्षण में आदेश-.

- (1) अपील या पुनरीक्षण का आदेश खुली कार्यवाहियों में सुनाया जायेगा और अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लिखित में पारित किया जायेगा।
- (2) प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क दी जायेगी।
- (3) द्वितीय अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति अपीलार्थी, सम्बन्धित सुनवाई अधिकारी और प्रथम अपील प्राधिकारी को दी जायेगी।
- (4) शास्ति अधिरोपित करने के मामले में, द्वितीय अपील प्राधिकारी आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भी पृष्ठांकित करेगाः-
 - (क) लोक सुनवाई अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करने के निदेश सहित आहरण एवं वितरण अधिकारी को; और (ख) कोषाधिकारी को।
- (5) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी ने लोक सुनवाई अधिकारी या लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी, यथास्थिति, प्रथम अपील प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच की सिफारिश की है वहाँ वह उसके द्वारा पारित आदेश की प्रति आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा।
- (6) जहां किसी पुनरीक्षण में द्वितीय अपील प्राधिकारी का आदेश पुनरीक्षित या उपांतरित किया जाता है वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उक्त आदेश की एक प्रति द्वितीय अपील प्राधिकारी और उप-नियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजेगा।

18. शास्ति की वसूली-.

- (1) अधिनियम की धारा 7 के अधीन शास्ति के अधिरोपण के आदेश की प्राप्ति पर आहरण एवं वितरण अधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, सम्बन्धित लोक सुनवाई अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करेगा और उसे सरकारी लेखा में निक्षिप्त करेगा तथा चालान की एक प्रति सम्बन्धित द्वितीय अपील प्राधिकारी को भेजेगा।
- (2) यदि पुनरीक्षण में द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश पुनरीक्षित या उपातंरित किया जाता है तो ऐसे आदेश की प्रति अनुपालन के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी और संबंधित कोषाधिकारी को भेजी जायेगी।
- **19. अभिलेख का रखा जाना** -. लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी मामलों के अभिलेख प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 7 या, यथास्थिति, प्ररूप 8 में रखेंगे।

20. सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना-

- (1) राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना कर सकेगी जिसमें ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हैल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्र या कोई भी अन्य ईिमत्र-, राजीव गांधी सेवा केन्द्र या सूचना और सुगम केन्द्र के रूप में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अन्य संस्थाएं सम्मिलित हो सकेंगी।
- (2) यदि परिवाद प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी सूचना और सुगम केन्द्र द्वारा कोई परिवाद प्राप्त किया जाता है तो सूचना और सुगम केन्द्र का प्रभारी उसे तुरन्त संबंधित लोक सुनवाई अधिकारी को अन्तरित करेगा और ऐसे अन्तरण में लगे समय की गणना विहित समय-सीमा में नहीं की जायेगी।
- (3) परिवाद पर दिये गए विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और परिवाद पर की गई कार्रवाई या परिवाद के अन्तरण को जनता की शिकातय की दक्ष और प्रभारी सुनवाई के लिए ऑनलाइन भी किया जाएगा।
- (4) परिवादों को प्राप्त करने, रजिस्टर करने और मानीटर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य व्यापी नेटवर्क विकसित किया जा सकेगा।
- 21. क्रियान्वयन की मानीटरी -. राज्य सरकार परिवादों की समयबद्ध सुनवाई के केन्द्रीयकृत मानीटरी के लिए और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन और मानीटरी के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु एक पद्धित विकसित कर सकेगी।
- 22. प्रसार और प्रशिक्षण -. राज्य सरकार, वित्तीय और अन्य स्रोतों की उपलब्धता की सीमा तकः-
 - (i) जनता की, विशेषकर अलाभान्वित समुदायों की, समझ विकसित करने के लिए, कि अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाये, प्रचार और कार्यक्रमों को विकसित तथा संचालित कर सकेगी:
 - (ii) ऊपर खण्ड (i) विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के विकास और संचालन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए लोक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित कर सकेगी;
 - (iii)परिवादों की सुनवाई और परिवादों की समय-सीमा तथा प्रक्रिया के बारे में लोक प्राधिकारियों द्वारा सही सूचना के समयबद्ध और प्रभावी प्रसार को बढ़ा सकेगी;

- (iv)लोक सुनवाई अधिकारी , प्रथम अपील प्राधिकारी , द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षक प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर सकेगी;
- (v) ऐसी सूचना वाले मार्गदर्शन को , आसानी से समझने योग्य प्ररूप और रीति में , जो अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिकार के प्रयोग की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाये, संकलित कर सकेगी; और
- (vi)ऊपर खण्ड (v) में निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों को नियमित अन्तरालों पर अद्यतन और प्रकाशित कर सकेगी जिसमें विशिष्टतया और खण्ड (v) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-
 - (क) अधिनियम के उद्देश्य ;
 - (ख) रीति और प्ररूप जिसमें लोक सुनवाई अधिकारी को सुनवाई के लिए अनुरोध किया जायेगा या अपील प्राधिकारियों को अपील फाइल की जायेगी;
 - (ग) अधिनियम के अधीन सुनवाई का अवसर अभिप्राप्त करने के सम्बन्ध में बनाये गये कोई भी अतिरिक्त विनियम या जारी किये गये परिपत्र।
- 23. राज्य सरकार द्वारा निदेश -. राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिनियम के अधीन फाइल किये गये मामलों के अधीक्षण के लिए और लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी और आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए कोई भी निर्देश , समय-समय पर जारी कर सकेगी।

प्ररूप 1 आवेदन का प्ररूप (नियम 3 देखिए)

(लोक सुनवाई अधिकारी का नाम और कार्यालय का पता) 1. परिवादी का नामः
2. पिता का नामः 3. पताः दूरभाष न./मोबाइल 4. परिवादः (क) दावाकृत फायदा या अनुतोषः (एथक् पन्ना संलग्न किया जाये) (ख) अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित हैः 5. यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है, तो दस्तावेजों के ब्योरेः (i) (ii) (iii) (iv) (iv) <td< th=""></td<>
3. पताः
दूरभाष न./मोबाइल
(क) दावाकृत फायदा या अनुतोषः
(पृथक् पन्ना संलग्न किया जाये) (ख) अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित है: 5. यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है, तो दस्तावेजों के ब्योरे: (i) (ii) (iii) 6. क्या पूर्व में परिवाद किया है: हां/नहीं
 (ख) अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित है: 5. यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है, तो दस्तावेजों के ब्योरे: (i) (ii) (iii) 6. क्या पूर्व में परिवाद किया है: हां/नहीं
 (ख) अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित है: 5. यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है, तो दस्तावेजों के ब्योरे: (i) (ii) (iii) 6. क्या पूर्व में परिवाद किया है: हां/नहीं
(i) (ii) (iii) 6. क्या पूर्व में परिवाद किया है: हां/नहीं
(ii) (iii) 6. क्या पूर्व में परिवाद किया हैः हां/नहीं
6. क्या पूर्व में परिवाद किया है: हां/नहीं
(पाद हा, ता आयकारा/।पमाग का नाम का नाम द्वाजर)
7. पूर्व परिवाद पर प्राप्त जवाबः हां/नहीं
(यदि हां, तो जवाब के ब्योरे दीजिए)
 अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहे:
तारीखः परिवादी के हस्ताक्षर
पारपादा के हस्ताकर (कृपया अपने परिवाद की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें)

प्ररूप 2 अभिस्वीकृति (नियम 4 देखिए)

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण सं	दिनांक:
 परिवादी का नाम परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों की सं परिवादी की सुनवाई के लिए नियत तारीख: कोई अन्य विशिष्टियां जिनका लोक सुनवाई अधिक चाहे: 	•••••
स्थानः दिनांकः	प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर नाम और मुहर सहित पदनाम
प्ररूप ३	
(नियम ७ देखिए कार्यालय का नाम/विभागः सं	त) दिनांक:
 लोक सुनवाई अधिकारी का नाम परिवादी का नामः परिवाद के विशिष्ट रिजस्ट्रीकरण संख्यांक का संदर्भ परिवाद का विषयः सुनवाई की तारीख 	और तारीख
विनिश्चय	
	लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
यदि परिवादी विनिश्चय से व्यथित है तो वह प्रथम अपील प्र अपील फाइल कर सकेगाः (प्रथम अपील प्राधिकारी के ब्य	•
	_

लोक सुनवाई अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 4 राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन सुनवाई में संबंधित सूचना (नियम 8 देखिए)

लोक स्	गुनवाई अधिकारी का नामः							
कार्यालय का पताः								
1	2		3					
1	आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	:						
2	परिवाद की सुनवाई के लिए नियत दिवसों की संख्या	:	दिवस					
3	परिवाद के निपटारे के लिए नियत समय सीमा	:						
4	प्रथम अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	नियत समय-सीमा के अवसान से विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर					
5	द्वितीय अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवसों के भीतर					
6	प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:						
7	द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:						
8	परिवाद पर विनिश्चय की संसूचना की समय सीमा	:						

टिप्पणः कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

लोक सुनवाई अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररुप 5 नामनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप (नियम 19 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी के	कार्यालय का नामः
मास	

क्र.स.	विशिष्ट रजि.स.	परिवाद के प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम और पता	परिवाद का विषय	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	आवेदन मंजूर/ नामंजूर/अन्य लो.सु.अधि. को अन्तरित किया गया	पारित आदेश की तारीख और ब्यौरे	विनिश्चय की तारीख	आवेदक को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								_	

प्ररूप 6 प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप (नियम 19 देखिए)

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः

क्र.स.	प्रथम	परिवाद	अपीलार्थी	लो.	नियत	अपील	विनिश्चय	अपीलार्थी
	अपील	का	का नाम	सू. अधि.	समय	प्रतिगृहीत	की	को भेजे गये
	फाइल	विशिष्ट	और पता	अधि.	सीमा	की गयी/	तारीख	विनिश्चय
	करने	रजि. सं.		का	की	नामंजूर		की सूचना
	की तारीख			नाम	अंतिम			की तारीख
	तारीख			और	तारीख			
				पता				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप ७

(नियम 19 देखिए)

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररू	Ч
द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः	

क्र.स.	द्वितीय अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि. सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो. सू. अधि./ प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	अपील प्रतिगृहीत की गयी/ नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रू.	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप 8

(नियम 19 देखिए)

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररुप

पुनराक्षण प्रााधकारा के कायालय का नाम और पताः	•••

क्र.स.	पुनरीक्षण	परिवाद	पुनरीक्षण में	लो. सू.	पुनरीक्षण	शास्ति	विनिश्चय	भेजे गये
	फाइल	का	में	अधि./	प्रतिगृहीत	(यदि कोई	की	विनिश्चय
	करने की	विशिष्ट	आवेदक	प्रथम	किया		तारीख	की
	तारीख	रजि.	का नाम	अपील	गया/	हो)		सूचना
		सं.	और पता	प्राधिकारी	नामंजूर	रू.		सूचना की तारीख
				का नाम				तारीख
				और पता				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

{ संख्या एफ.13(1) एआरएण्डसी/ ग्रुप -1/2012 } राज्यपाल केआदेश से, डॉ.आर.पी.जैन, प्रमुख शासन सचिव।

ADMINISTRATIVE REFORMS & COORDINATION DEPARTMENT

(GROUP-1)

NOTIFICATIOJN

Jaipur, June 1, 2012

G.S.R.15.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 (Act No. 22 of 2012), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Rajasthan Right to Hearing Rules, 2012
- (2)*They shall come into force on and from 11th June, 2012.

2. Definitions.—

- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
- (a) "Act" means the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 (Act No. 22 of 2012);
- (b) "Centre" means Information and Facilitation Centre established under section 5 of the Act;
- (c) "Form" means the Form appended to these rules, and
- (d) "Section" means the section of the Act.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Complaint.

- (1) A person who desires hearing under the Act shall make a complaint to the Public Hearing Officer in Form 1 or on plain paper specifying the name and address of the complainant and particulars of complaint.
- (2) The complaint shall be received by the Public Hearing Officer or any other officer or employee authorized by him or In-charge of the Centre.
- (3) The Public Hearing Officer or the person authorized by him or Centre shall provide Form 1 to the person who desires to file complaint and shall assist in fill the Form 1 or make complaint on plain paper, as the case may be.
- (4) On receipt of the complaint, a unique registration number shall be given on each complaint by the Public Hearing Officer or person who receive the complaint, and such unique registration number

^{*} Amended Notification come into force on and from 1st August 2012.

- shall be used at all levels i.e. hearing of complaint, first appeal, second appeal and in the revision.
- **4. Acknowledgement.** On receipt of the complaint, the Public Hearing Officer or the person or Centre authorised by him shall give acknowledgement of the complaint to the complainant in Form 2.
- 5. Transfer of complaint.— Where a complaint is made to the Public Hearing Officer and he is of the view that the subject matter of the complaint is connected with the functions of another Public Hearing Officer or falls in the jurisdiction of another Public Hearing Officer, he shall transfer the complaint to such another Public Hearing Officer and inform the complainant within seven days about such transfer.
- **6. Days of Hearing.** Every Public Hearing Officer shall fix at least two days in a week for hearing of complaints received under the Act and same shall be notified in Form 4 on the notice board of his office.
- **7. Hearing of Complaint.** The Public Hearing Officer on receipt of the complaint shall, within the stipulated time limit, provide an opportunity of hearing to the complaint and decide the same. The Public Hearing Officer shall communicate his decision, in Form 3 to the complainant within stipulated time limit.
- **8. Display of information on the notice board.** The Public Hearing Officer shall display, on the notice board in Form 4, all relevant information relating to hearing under the Act. The notice board shall be installed at a conspicuous place of the office of Public Hearing Officer.
- **9. Computation of stipulated time limit.** While computing the stipulated time limit under these rules the public holiday shall not be counted.
- **10. Denial or delay in providing hearing.** The Public Hearing Officer shall, within the stipulated time limit, give an opportunity of hearing to complainant and in case the opportunity of a hearing is denied or delayed and the decision is not communicated within the stipulated time limit, the Public Hearing Officer shall communicate to the complainant,-
 - (i) The reasons for such denial or delay;
 - (ii) The period within which an appeal against such denial or delay may be preferred; and
 - (iii) the information about the relevant Appellate Authority.

- **11. Fee.** No fee shall be payable along with complaint, memo of first appeal or second appeal and revision application.
- **12.** Contents of memo of first appeal or second appeal and revision application.— Every memo of first appeal or second appeal and revision application shall specify the following information:
 - (i) name and address of the appellant or applicant at revision, as the case may be;
 - (ii) name and address of the Public Hearing Officer, officer or employee treated as a designated officer under the provision of sub-section (3) of section 4 of the Act, first Appellate Authority or second Appellate Authority, as the case be, against whose order or who delayed or denied, appeal or revision preferred;
 - (iii) particulars of the order against which the appeal or revision preferred;
 - (iv) if the appeal is against the refusal of acknowledgement of the complaint, the date of complaint and the name and address of the Public Hearing Officer to whom the complaint was presented;
 - (v) the grounds for appeal or revision;
 - (vi) the relief sought; and
 - (vii) any other relevant information which is necessary for the disposal of the appeal or revision.
- **13. Documents to be enclosed with first appeal, second appeal or revision.** The following documents shall be enclosed with the memo of appeal or revision application, namely:
 - (i) self-attested copy of the order against which the appeal or revision is preferred;
 - (ii) the copies of the documents mentioned in the memo of appeal or revision application; and
 - (iii) The index of the documents enclosed with the memo of appeal or revision application.
- **14. Procedure for deciding first appeal, second appeal or revision.**While deciding the first appeal, second appeal, or revision,-
 - (i) the relevant documents, public documents or copies thereof shall be inspected;
 - (ii) any officer may be authorised for appropriate inquiry, if required; and
 - (iii) the Public Hearing Officer or first Appellate Authority, as the case may be, may be heard in revision.

- **15. Service of notice of hearing** The notice of hearing of first appeal, second appeal or revision, as the case may be, shall be served in any of the following manner, namely:-
 - (i) by the party or person himself;
 - (ii) through process server;
 - (iii) by the registered post with due acknowledgement: or
 - (iv) through the department concerned.

16. Personal appearance.-

- (1) The appellant or applicant at revision, as the case may be, shall be intimated with the date of hearing, at least seven clear days prior to such date of hearing.
- (2) The appellant or applicant at revision, as the case may be, may present in person at the time of hearing of appeal or revision, or may opt not to present in the hearing.
- (3) If it is satisfied that the circumstances exist due to which the appellant or applicant at revision is prevented to be present in hearing, then before taking the final decision one opportunity of hearing shall be given by the Appellate or Revision Authority, as the case may be, to the appellant or applicant at revision or may take any other appropriate action as he may deems fit.
- (4) If any party remains absent after due service of notice of the fixed date of hearing, then the appeal or revision application, as the case may be, shall be disposed in his absence.

17. Order in an appeal or revision.-

- (1) The order of appeal or revision shall be pronounced in open proceedings and shall be passed in writing by the Appellate Authority or Revision Authority, as the case may be.
- (2) Copy of the order of first Appellate Authority shall be given to the appellant and concerned Public Hearing Officer free of cost.
- (3) Copy of the order of second Appellate Authority shall be given to the appellant, concerned Public Hearing Officer and first Appellate Authority.
- (4) In case of imposing penalty, the second Appellate Authority shall also endorse a copy of the order to the concerned,-
 - (a) Drawing and Disbursing Officer, with the direction to recover the amount of penalty from next salary of the Public Hearing Officer; and
 - (b) Treasury Officer.

- (5) In case the second Appellate Authority recommend for the departmental enquiry against the Public Hearing Officer or the officer or employee authorised by the Public Hearing Officer, first Appellate Authority, as the case may be, he shall send the copy of order passed by him for necessary disciplinary action to the disciplinary authority concerned.
- (6) Where in a revision, the order of second Appellate Authority is revised or modified, the Revision Authority shall send a copy of the said order to the second Appellate Authority and the officers specified in sub-rule (4) and (5).

18. Recovery of penalty.—

- (1) On receipt of order of imposition of penalty under section 7 of the Act, the Drawing and disbursing Officer subject to any order passed by the Revision Authority, shall recover the amount of the penalty from the next salary of the concerned Public Hearing Officer and deposit the same in the government account and send a copy of challan to the second Appellate Authority concerened.
- (2) If in revision any order passed by the second Appellate Authority is revised or modified the copy of such order shall be sent to the Drawing and Disbursing Officer and Treasury Officer concerned for compliance.
- **19. Maintenance of record.** The Public Hearing Officer, first Appellate Authority, second Appellate Authority and Revision Authority shall maintain the record of the cases in Form 5, Form 6, Form-7, or Form 8, as the case may be.

20. Establishment of Information and Facilitation Centre.—

- (1) The State Government may establish Information and Facilitation Center which may include establishment of customer care centers, call centers, help desks and people's support centers or any other e-mitra, Rajiv Gandhi Seva Kendra or other institutions authorised to act as Information and Facilitation Center.
- (2) If the complaint is received by any Information and Facilitation Center authorised for receiving complaints, the In-charge of the Information and Facilitation Center shall transfer the same immediately to the Public Hearing Officer concerned and the time taken in such transfer shall not be counted in the stipulated time limit.

- (3) The unique registration number given on complaint and action taken on complaint or transfer of complaint may also be made online for efficient and effective hearing of grievance of the people.
- (4) A State wide net work may be developed by the State Government to receive, register and monitor the complaints.
- **21. Monitoring of implementation.** The State Government may introduce a system for centralized monitoring of the timely hearing of complaints and for the use of Information and Communication Technologies for implementing and monitoring the various provisions of the Act.
- **22. Dissemination and training.** The State Government may, to the extent of availability of financial and other resources,-
 - (i) develop and organize campaigns and programmes to advance the understanding of the public, in particular of the disadvantaged communities, as to how to exercise the rights contemplated under the Act;
 - (ii) encourage public authorities to participate in the development and organization of programmes referred to in clause (i) above and to undertake such programmes themselves;
 - (iii) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about the hearing of complaints and timelines and the processes for complaints;
 - (iv) train the Public Hearing Officer, first Appellate Authority, second Appellate Authority and Revision Authority of their duties under the Act;
 - (v) compile a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified under the Act; and
 - (vi) update and publish guidelines referred to in clause (v) above at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality of the clause (v) above, include-
 - (a) The objects of the Act;
 - (b) The manner and the form in which request for the hearing shall be made to the public Hearing Officer or file appeal to the Appellate Authorities;
 - (c) Any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtain the opportunity of hearing under the Act.

23. Direction by the State Government.- The State Government may issue any directions, from time to time, for effective implementation of the provisions of the Act, superintendence of cases filed under the Act and for the inspection of the offices of the Public Hearing Officer, first Appellate Authority, second Appellate Authority, Revision Authority and Drawing and Disbursing Officer.

Form 1 FORM OF APPLICATION

(See rule 3)

To, The Public Hearing Officer,	
(Name of the Public Hearing Officer & Office Address)	
Name of the complainant: Father's Name:	
3. Address:	
Contact No. / Mobile No	
(Separate sheet may be attached) (b) Name of officer and department to which	h complaint relates:
5. If documents annexed in support of complaint, (i) (ii) (iii)	
6. If complaint made earlier:	Yes/No
(If, yes give the name of officer/Department)7. Reply received on the earlierComplaint:(If yes, give details of reply)	Yes/No
8. Any other information which the application ma	y like to mention:
Date:	 Signature of complainant
	~-8avair or complainant

(Please obtain acknowledgement of your complaint compulsorily)

Form 2 ACKNOWLEDGEMENT

(See rule 4)

Un	nique Registration No	Date:							
1.	Name of the complainant:	••••••							
2.	No. of document annexed with complaint:								
3.	Date fixed for hearing of the complaint:								
4.	Any other particular, the public Hearing Officer	may like to							
	mention:								
	Place:								
	Date:								
	Name a	Signature of Recipient nd Designation with seal							
	Form 3								
	(See rule 7)								
	Name of the office/department:	•••••							
No	Date:	•••••							
	Name of the Public Hearing Officer								
	Name of the complainant:								
3.	Reference of Unique Registration Number of the date:	-							
	uaic								
4.	Subject of the Complaint:	•••••							
	Date of Hearing:								
	Decision								
		of Public Hearing Officer							
t	If the complainant aggrieved by the decision he thirty days to the first Appellate Authority: (Authority).	may file an appeal within details of first Appellate							
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							

Form 4

INFORMATION RELATING TO HEARING UNDER THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012

(See rule 8)

Na	me of the Public Hearing Officer:	• • • •	
Off	fice Address:	••••	
1	Name of the person authorised to receive the application	:	
2	Days fix for hearing the complaint	:	Days
3	Stipulated time limit for disposal of complaint	:	
4	Time limit for filing the first appeal	:	Within thirty days from the expiry of stipulated time limit or from the date of decision.
5	Time limit for filing the second appeal	:	Within thirty days from the date of decision of the first Appellate Authority.
6	Name and Address of the first Appellate Authority	:	
7	Name and Address of the second Appellate Authority	:	
8	Time limit of communication of the decision on the complaint	:	

Note: Please obtain acknowledgement of your application Compulsorily.

Signature of Public Hearing Officer

Form-5 FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF DESIGNATED PUBLIC HEARING OFFICER

(See rule 19)

Name of the office of Public Hearing officer:	
Month	
Year	

S.	Unique	Date of	Name	Subject	Last date	Appli-	Date	date of	Date of
No	Reg.	receipt	&	of the	of the	cation	and	decis-	intimation
	No.	of com-	Address	Com-	stipulated	allowed/	details	ion	the
		plaint	of the	plaint	time limit	disallo-	of the		decision
			Appli-			wed/	order		sent to the
			cant			Transfer	passed		applicant
						to other	-		
						PHO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF FIRST APPEAL AUTHORITY

(See rule 19)

Name of the office of the first Appellate Authority:....

S.	Date	Unique	Name &	Name &	Last date	Appeal	Date of	date of
No	of	Reg.	Address	Address	of the	accepted/	Decision	intimation
	filing	No. of	of	of the	stipulated	rejected		the decision
	first	complaint	appellant	PHO	time limit	3		sent to the
	appeal	-						appellant
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Form-7

(See rule 19)

FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF SECOND APPELLATE AUTHORITY

Name of the office of the second Appellate Authority:....

S.	Date	Unique	Name &	Name &	Appeal	Penalty	Date of	Date of
No	of	Reg. No.	Address	address	accepted/	(if any)	decision	intimation
	filing	of	of	of the	rejected	Rs.		the decision
	second	complaint	appellant	PHO/				sent to the
	appeal			first				appellant
				Appellate				
				Authority				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				_				
				_				

FORM-8 FORM OF REGISTER TO BE MAINTAINED IN THE OFFICE OF REVISION AUTHORITY

(See rule 19)

Name and address of the office of the Revision Authority.....

S.	Date of	Unique	Name &	Name &	Revision	Penalty	Date of	Date of
No	filing	Reg. No.	address	address of	accepted/	(if any)	Decision	intimation
	the	of	of applic-	the PHO/	rejected	Rs.		the decision
	revision	complaint	ant at	first				sent
			revision	Appellate				
				Authority				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[No. F. 13(1) AR&C/Gr.I/2012] By Order of the Governor, डॉ. आर.पी.जैन,

Principal Secretary to the Government.